न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 194 / 2017

उनवान

1. कल्याण पिता भैरू माली निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती मोहनी पत्नि भैरू माली निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा

अपीलाण्ट्स / प्रतिवादीगण

बनाम

1. रणवीर सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. योगेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. देवेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. मनोहर सिंह पिता रूप सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. भवानी सिंह पिता उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. राजकंवर पिता उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7. नन्दकंवर पुत्री उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8. हेमकंवर पुत्री उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. नीलकंवर पुत्री उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. लक्ष्मीकंवर पुत्री उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
11. मनोहर सिंह मुतबन्ना महताब राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स / वादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के
प्रकरण संख्या 19 / 2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.5.2017

अभिभाषक : 1. श्री राकेश सुराणा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2
3..श्री के जी शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3 से 11

आदेश

दिनांक 4.7.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण / वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर, में वादीगण के नाम पर खतौनी संख्या 928 के आराजी नम्बर 2100 रकबा 0.03 बीघा भूमि स्थित है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना–देना नहीं है। उनका कोई हक अधिकार उक्त भूमि में नहीं है। वादीगण की उक्त आराजी के साथ–साथ प्रतिवादीगण की आराजी स्थित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है । जिसके चारों तरफ पुख्ता सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी व अन्य पडौसियों के विरूद्ध पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 67/2015 कायम किये गये एवं दिनांक 21.5.2015 को आराजी नम्बर 25, 28, 36, 37, 38, 39, 296, 429, 430, 431, 445, 456, 457, 1164, 1291, 2100 , 2106 कुल किता 17 रकबा 33 बीघा 2 बिस्वा की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान किया गया । पत्थरगढी के आदेश की पालना में गिरदावर व पटवारी हल्का मूशी व अन्य मौतबिरान व वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में दिनांक 16.6.2016 को मौके पर जाकर उक्त विवादग्रस्त आराजी नम्बर 25, 28, 36, 37, 38, 39, 296, 429, 430, 431, 445, 456, 457, 1164, 1291, 2100 , 2106 कुल किता 17 रकबा 33 बीघा 2 में से आराजी नम्बर आराजी संख्या 2100 रकबा 0.03 बीघा के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर 2 कडी चौडाई दक्षिणी पूर्वी कोने पर 0 कडी चौडाई एवं 50 कडी लम्बाई कुल 2+0/2 गुणा 50 = 50 वर्ग कडी 2 बिस्वांशी= 1/10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है जो कि प्रतिवादीगण की पक्की दिवार गलमी फड तक 12 वर्ग कडी में एवं शेष 38 वर्ग कडी में लोहे की जाली एवं पत्थर लगा प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा कर रखा है। इस वजह से वादीगण ने अपनी आराजी की दिनांक 16.6.2016 को पत्थरगढी कराई ।

2. पत्थरगढी कराये जाने पर स्थिति स्पष्ट हो गई और वादी की इस आराजी के रकबे के अनुसार चारों तरफ पत्थर के रूढे रूपवाये गये उक्त रूढे के अनुसार प्रतिवादीगण का नाजायज अधिकार व आधिपत्य पाया गया , पत्थरगढी दिनांक 16.6.2016 को गिरदावर ने मौका पर्चा बनाया उस

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समय भी वादीगण को हिदायत दी कि सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर नियमानुसार कब्जा प्राप्त करे।

3. उपरोक्त अनुसार वादी की आराजी संख्या 25, 28, 36, 37, 38, 39, 296, 429, 430, 431, 445, 456, 457, 1164, 1291, 2100 , 2106 कुल किता 17 रकबा 33 बीघा 2 में से आराजी नम्बर आराजी संख्या 2100 रकबा 0.03 बीघा के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर 2 कडी चौडाई दक्षिणी पूर्वी कोने पर 0 कडी चौडाई एवं 50 कडी लम्बाई कुल 2+0/2 गुणा 50 = 50 वर्ग कडी 2 बिस्वांशी= 1/10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है जो कि प्रतिवादीगण की पक्की दिवार गलतमी फड तक 12 वर्ग कडी में एवं शेष 38 वर्ग कडी में लोहे की जाली एवं पत्थर लगा प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से अवैध कब्जा कर रखा है जिसको बेदखल कर इस भूमि का उपरोक्त अनुसार कब्जा वादी के सुपुर्द किये जाने की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.5.2017 द्वारा वादीगण का वाद पत्र आपसी राजीनामे से स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की ।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सरदार नगर स्थित आराजी संख्या 2100 रकबा 0.03 बीघा में से कुछ भू भाग पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का कब्जा बताते हुए कब्जा प्राप्त करने का वाद पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं पत्रावली दिनांक 9.5.2017 को साक्ष्य में नियत थी। राजस्व लोक अदालत कैम्प सरदारनगर में पत्रावली दिनांक 15.5.2017 को रखी गई। जिसकी कोई सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी गई। जिस कारण अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विधिविरूद्ध तरीके से लोक अदालत में आपसी राजीनामा होना बताकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । एक ही दिन में रेस्पोडेण्ट्स/वादीगण की ओर से साक्ष्य लेकर अपीलार्थीगण को जिरह का अवसर दिये बिना ही , साक्ष्य को रेकार्ड पर लिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दी। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई राजीनामा तस्दीक ही किया गया । अपीलार्थीगण के उपस्थित नहीं होते हुए भी दिनांक 15.5.2017 की फर्द अहकाम पर दोनों पक्षों की उपस्थिति लिखते हुए अपीलार्थीगण द्वारा सहमति नहीं दिये जाने के बावजूद सहमति का कथन कर वाद पत्र में निर्णय पारित कर दिया जो खारिज योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. प्रत्यर्थीगण/वादीगण अपीलार्थीगण को परेशान करने की नियत से झूठा दावा प्रस्तुत करते रहते हैं । इससे पूर्व भी प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा वाद संख्या 22/2009 एवं 19/2010 वादग्रस्त आराजी बाबत प्रस्तुत किये थे उक्त दोनों वाद पत्र खारिज हुए हैं। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के किसी भी भू भाग पर कब्जा नहीं है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने के पश्चात अधिवक्ता ने कहा कि पत्रावली अभी तनकियात में नियत होगी । आपको साक्ष्य वादी के समय आना होगा। इसलिए अपीलार्थीगण पेशी पर उपस्थित नहीं हुए न ही लोक अदालत का कोई नोटिस प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो खारिज योग्य है। अपीलार्थीगण की उपस्थिति गलत तौर पर दर्ज कर रेस्पोडेण्ट के गवाहों के बयान लेकर जिरह का अवसर दिये बिना साक्ष्य के आधार पर वाद पत्र डिक्री करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

10. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 2100 रकबा 0.03 बीघा भूमि के कुछ भू भाग पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिये जाने के कारण प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा पत्थरगढी की गई एवं

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मौका पर्चा बनाया गया जिसके अनुसार प्रत्यर्थीगण की आराजी नमबर 2100 के भू भाग पर अपीलार्थीगण का कब्जा पाया गया जिसे वाद प्रस्तुत कर कब्जा प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया । अपीलार्थीगण को इस तथ्य की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र प्रस्तुत किया । जिसमें अपीलार्थीगण ने जवाब दावा प्रस्तुत किया । प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखा गया जहॉ पर दोनों अधिवक्ताओं के द्वारा दिये गये राजीनामे के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज किया जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा उनके खातेदारी की आराजी नम्बर 2100 रकबा 0.03 बीघा भूमि के कुछ भू भाग पर अवैध कब्जा कर लिया है । अतः प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जावे। इससे पूर्व प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक, एवं पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.6.2016 को पत्थरगढी की गई एवं पर्चा मौका बनाया गया जिसमें वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण का वादग्रस्त भू भाग पर कब्जा पाया गया था। जिस पर कब्जा प्राप्त करने हेतु न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई थी। वक्त पर्चा मौका अपीलार्थीगण भी उपस्थित थे परन्तु उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थें।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण का यह कथन है कि उनका वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा नहीं था। जबकि मौका पर्चा के अनुसार वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया गया था। जिस पर कब्जा प्राप्त करने हेतु वादीगण/प्रत्यर्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था एवं राजस्व लोक अदालत कैम्प सरदारनगर में उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। निर्णय में प्रतिवादीगण द्वारा पुनः निष्पक्ष अधिकारी, टीम से पत्थरगढी कराने के उपरान्त प्रतिवादीगण का अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटा कर वादीगण को कब्जा सौंप दिये जाने की सहमति का अंकन है। जिस पर तहसीलदार बनेडा को कमिश्नर नियुक्त किया गया । जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

12. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.5.2017 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 4.7.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 194 / 2017

उनवान

1. कल्याण पिता भैरू माली निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. श्रीमती मोहनी पत्नि भैरू माली निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स / प्रतिवादीगण

बनाम

1. रणवीर सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. योगेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3. देवेन्द्र सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. मनोहर सिंह पिता रूप सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. भवानी सिंह पिता उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. राजकंवर पिता उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7. नन्दकंवर पुत्री उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8. हेमकंवर पुत्री उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. नीलकंवर पुत्री उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10. लक्ष्मीकंवर पुत्री उमराव सिंह राजपूत निवासी सरदारनगर, तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11.मनोहर सिंह मुतबन्ना महताब राजपूत निवासी सरदारनगर,
तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स / वादीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बनेडा के
प्रकरण संख्या 19 / 2016 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.6.2017

अभिभाषक : 1. श्री राकेश सुराणा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री के जी शर्मा, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 3 से 11
3.श्री रणवीर सिंह अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3

अपील में डिक्री
(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए / 194 / 2017 मे **उपखण्ड अधिकारी, बनेडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 4.7.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री राकेश सुराणा वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 से 11 की ओर से श्री श्री के जी शर्मा एवं वकी प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री रणवीर सिंह की उपस्थिति मे दिनांक 4.7.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.5.2017 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 4.7.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

4/7/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस